योजना का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
अनु0 जाति के व्यक्तियों की पुत्रियों के विवाह हेतु अनुदान।	अनु0जाति के परिवार की अधिकतम दो पुत्रियों के विवाह हेतु प्रति पुत्री रू0 50,000 / – की दर से अनुदान।	अनु0जाति के परिवार की समस्त स्रोतों सहित मासिक आय रू0 4000 / – अथवा बी0पी0एल परिवार। शादी के समय युवक (दुल्हा) की आयु 21 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो। युवती (दुल्हन) की आयु 18 वर्ष से कम 45 वर्ष से अधिक न हो।	आवेदक, आवेदन स्वयं / कॉमन सर्विस सेंटर ऑनलाईन पेंशन पोर्टल ssp.uk.gov.in, अथवा उमंग मोबाइल ऐप अथवा अपणि सरकार पोर्टल https://eservices.uk.gov.in/ के माध्यम से करेगा तथा निम्न दस्तावेज अनिवार्य हैं :– आवेदक का मोबाईल नम्बर, आधार कार्ड, फोटो, जाति प्रमाण पत्र, उत्तराखण्ड का मूल / स्थायी निवास प्रमाणपत्र, सीबीएस बैंक खाता जो आधार से लिंक / सीड हो। वैध आय प्रमाण पत्र अथवा बी0पी0एल0 प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, परिवार रजिस्टर की नकल। (केवल ग्रामीण क्षेत्र हेतु) दुल्हन एवं दुल्हे की जन्म तिथि प्रमाण पत्र (हाई स्कूल का प्रमाण पत्र / जन्म प्रमाण पत्र / परिवार रजिस्टर / आधार कार्ड)। शादी का पंजीकरण प्रमाण पत्र। शपथ पत्र (आवेदक के परिवार ने इससे पूर्व सिर्फ 1 बार लाभ लिया हो अथवा लाभ ही न लिया हो) जिस वर्ष शादी हो उसी वर्ष 01 मार्च से 28 फरवरी के बीच आवेदन करना अनिवार्य है। यदि किसी की शादी माह जनवरी, फरवरी में हो तथा उसी समय दस्तावेज पूरे न हों, तो ऐसी स्थिति में शादी होने से पूर्व ही आवेदन कर सकते हैं परंतु लाभ, शादी का पंजीकरण प्रमाण पत्र पोर्टल पर अपलोड करने के उपरांत ही मिलेगा। ऑनलाइन आवेदन करने के उपरांत सहायक समाज कल्याण अधिकारी द्वारा जॉच की जायेगी तथा जॉच आख्या / संस्तुति के आधार पर जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा नियमानुसार आवेदन पत्र स्वीकृत कर अनुदान राशि लाभार्थी के खाते में भुगतान की जायेगी।
निराश्रित विधवा की पुत्रियों के विवाह हेतु अनुदान योजना	निराश्रित विधवाओं की अधिकतम दो पुत्रियों के विवाह हेतु रू0 50,000 / – प्रति पुत्री अनुदान	विधवा पेंशन प्राप्त कर रही ऐसी विधवाओं को जिनकी समस्त स्रोतों से मासिक आय रू0 4000 / – तक हो अथवा बी0पी0एल परिवार हो। शादी के समय युवक (दुल्हा) की आयु 21 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो। युवती (दुल्हन) की आयु 18 वर्ष से कम 45 वर्ष से अधिक न हो।	**क्रमांक–8** में उल्लिखित आवेदन प्रक्रिया, चयन प्रक्रिया एवं दस्तावेज समान होंगे परंतु उक्त के अतिरिक्त विधवा पेंशन, समाज कल्याण से प्राप्त हो रही है अथवा नहीं, समाज कल्याण विभाग इसकी पुष्टि करता है तथा इसमें जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होती है।

निदेशालय समाज कल्याण, उत्तराखण्ड,

मानपुर पूरब, रामपुर रोड, हल्द्वानी (नैनीताल)।

Phone : 05946-297051 Fax- 05946-297050 E-mail- directorsocialwelfare@gmail.com Website- www.socialwelfare.uk.gov.in

पत्रांक 4495 / स0क0 / 22(45) / मा.मु.मं.घो. / 2022–23 दिनांक 25 जनवरी, 2023

समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी /
समस्त जिला प्रोबेशन अधिकारी।
उत्तराखण्ड।

विषय–मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–521 / 2018 "अनुसूचित जाति, जनजाति एवं निराश्रित विधवाओं की पुत्रियों के विवाह हेतु शत–प्रतिशत आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी" के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या 1096 / XVII–2 / 22–19(01) / 2018 दिनांक 09 जनवरी, 2023 **(छायाप्रति संलग्न)** का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों एवं निराश्रित विधवाओं की पुत्रियों के विवाह हेतु अनुदान योजनान्तर्गत प्रचलित शासनादेश संख्या 748 / XVII–4 / 2016–01(135) / 2013 टी.सी.–1 दिनांक 23.5.2016 के दिनांक 09 जनवरी, 2023 के बिन्दु संख्या–3 में संशोधन करते हुए अब शत–प्रतिशत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों एवं निराश्रित विधवाओं की पुत्रियों के विवाह हेतु अनुदान योजनान्तर्गत आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी।

अतः उपरोक्त की प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए आपको निर्देशित किया जाता है कि योजना का कियान्वयन संशोधित शासनादेशानुसार करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक–शासनादेश की प्रति।

(के0आर0 जोशी)
सहायक निदेशक,
कृते निदेशक।

पृष्ठांकन संख्या / उपरोक्तानुसार / तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित्।

1. प्रमुख सचिव, उत्तराखण्ड शासन, समाज कल्याण अनुभाग–2, देहरादून।
2. निदेशक, जनजाति कल्याण उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. समस्त कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।

सहायक निदेशक,
कृते निदेशक।

समस्त पटल सहायक (शादी अनुदान)

File No. SOCW2-CM/CM/1/2022-XVII-A-2-Social Welfare Department (Computer No. 19161)
/89435/2023

/89435/2023

संख्याः– 1096 /XVII–2/22–19(01)/2018

प्रेषक,

एल॰फैनई,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण विभाग,
उत्तराखण्ड, हल्द्वानी–नैनीताल।

समाज कल्याण अनुभाग–2 देहरादून, दिनांक 09 ~~दिसम्बर, 2022~~ जनवरी, 2023

विषयः–मा.मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–521/2018 की पूर्ति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या–1680/स.क./शादी अनु.–घोषणा/2022–23 दिनांक 24.08.2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से मा0मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–521/2018 की पूर्ति हेतु शासनादेश संख्या–748/XVII-4/2016-01(135)/2013-टी.सी.–1 दिनांक 23.05.2016 में यथा आवश्यक संशोधन किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों की पुत्री एवं सामान्य वर्ग की विधवा पेंशन प्राप्त कर रही विधवाओं की पुत्री के विवाह हेतु अनुदान योजना हेतु प्रचलित शासनादेश संख्या–748/XVII-4/2016-01(135)/2013-टी.सी.–1 दिनांक 23.05.2016 में निम्नानुसार संशोधन किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

वर्तमान व्यवस्था	संशोधित व्यवस्था
बिन्दु संख्या–3 सफलता पूर्वक आवेदन पत्रों की जाचोंपरान्त प्रथम आवत प्रथम पावत के आधार पर वरीयता सूची बनेगी। प्राप्त आवेदन पत्रों का दिनॉक तथा समय के वरीयता कम में अंकित करने के उपरान्त आवेदकों की वरीयतानुसार धनराशि की स्वीकृति प्रदान की जायेगी।	शत–प्रतिशत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों एवं निराश्रित विधवाओं की पुत्रियों के विवाह हेतु अनुदान योजनान्तर्गत आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी।

3–शासनादेश संख्या–748/XVII-4/2016-01(135)/2013-टी.सी.–1 दिनांक 23.05.2016 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाये तथा उक्त की शेष शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत् लागू रहेंगे।

4– यह आदेश वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन के अशासकीय पत्र संख्या–I/86142/2022/XXVII(3)/2019 दिनांक 23.12.2022 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा है।

भवदीय

Signed by L Fanai
Date: 06-01-2023 18:00:15

(एल. फैनई)
प्रमुख सचिव

Dy Dir.
24.1.23

Generated from eOffice by VINOD KUMAR SHARMA, RO-SOCW-VKS, RO-SOCIAL WELFARE, Social Welfare Department on 24/01/2023 10:41 AM

File No. SOCW2-CM/CM/1/2022-XVII-A-2-Social Welfare Department (Computer No. 19161)
/89435/2023

/89435/2023 संख्याः— 1096 /XVII—2/22—19(01)/2018 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1—सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2—सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3—निजी सचिव, मा0 समाज कल्याण मंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
4—वरिष्ठ निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5—सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
6—सचिव, गोपन, उत्तराखण्ड शासन।
7—महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8—आयुक्त, गढ़वाल एवं कुमायूँ मण्डल, उत्तराखण्ड।
9—समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।(द्वारा निदेशक, स०क०)
10—निदेशक, समाज कल्याण/निदेशक, जनजाति कल्याण उत्तराखण्ड।
11—समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।(द्वारा निदेशक, स०क०)
12—समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तराखण्ड(द्वारा निदेशक, समाज कल्याण)।
13—गार्ड फाईल।

(एल०फैनई)
प्रमुख सचिव

जनकल्याणकारी,योजनाओं, का नाम	योजनाओं का लाभ	पात्रता/लाभार्थी कौन होंगे	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया क्या होगी कैसे होगी
अनु0जाति के व्यक्तियों की पुत्रियों के विवाह हेतु अनुदान योजना	अनु0जाति के परिवार की अधिकतम दो पुत्रियों के विवाह हेतु प्रति पुत्री रू0 50000/- की दर से अनुदान।	अनु0जाति के परिवार की समस्त स्रोतो सहित मासिक आय रू0 4000/- प्रतिमाह वाले परिवार अथवा बी0पी0एल परिवार । • शादी के समय युवक की आयु 21 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो। युवती की आयु 18 वर्ष से कम 45 वर्ष से अधिक न हो।	आवेदन ऑनलाईन राज्य के पेंशन पोर्टल ssp.uk.gov.in, अथवा उमंग पोर्टल अथवा अपुणि सरकार पोर्टल पर स्वयं अथवा कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से किया जाता है। आवेदन करते समय निम्न दस्तावेज अनिवार्य हैं :- • रू0 4,000/- प्रतिमाह, परिवार का आय प्रमाण पत्र (वैध प्रमाण पत्र) अथवा बी0पी0एल0 प्रमाण पत्र। • आवेदक का फोटो। • आवेदक का अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति। • आधार कार्ड की स्वप्रमाणित छायाप्रति। • राशन कार्ड की स्वप्रमाणित छायाप्रति। • शादी का पंजीकरण तथा पंजीकरण कार्यालय द्वारा प्रदत्त विवाह प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति। • दुल्हन की जन्म तिथि प्रमाण पत्र (हाई स्कूल का प्रमाण पत्र/जन्म प्रमाण पत्र/परिवार रजिस्टर/आधार कार्ड की स्वप्रमाणित छायाप्रति)। • दुल्हे की जन्म तिथि प्रमाण पत्र (हाई स्कूल का प्रमाण पत्र/जन्म प्रमाण पत्र/ परिवार रजिस्टर/आधार कार्ड की स्वप्रमाणित छायाप्रति)। • आवेदक एवं आवेदक के परिवार वालो ने इससे पूर्व पुत्री शादी योजना में एक अधिक पुत्री के शादी के लिए इस योजना का लाभ नहीं लिया है, का शपथ पत्र। • आवेदक उत्तराखण्ड का मूल/स्थायी निवास प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति। • परिवार रजिस्टर की नकल। (केवल ग्रामीण क्षेत्र हेतु) • सी0बी0एस0 बैक खाते की पासबुक की छायाप्रति। • मोबाईल नम्बर । जिस वर्ष शादी की हो उसी वर्ष 01 मार्च से 28 फरवरी के बीच आवेदन करना अनिवार्य है। यदि किसी की शादी माह जनवरी फरवरी में हो तथा उसी समय दस्तावेज पूरे न हों तो, ऐसी स्थिति में शादी होने से पूर्व ही आवेदन कर सकते हैं परंतु लाभ, शादी का पंजीकरण पोर्टल पर अपलोड करने के उपरांत ही मिलेगा। आवेदन करने के पश्चात आवेदक को एक पासवर्ड और आवेदन सं0 प्राप्त होगी जो उसकी लॉगिन आइडी होगी। इस आईडी व पासवर्ड से आवेदक, अपने आवेदन की अद्यतन स्थिति, आवश्यक दस्तावेज अपलोड करना, आवेदन पत्र प्रिंट करना, पेंशन संबंधी रिपोर्ट देखना आदि कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने पर विकास खण्ड स्तरीय सहायक समाज कल्याण अधिकारी द्वारा ऑनलाईन जॉच की जायेगी तथा जॉच आख्या/संस्तुति के आधार पर जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा नियमानुसार परीक्षणोपरान्त आवेदन पत्र स्वीकृत कर अनुदान राशि कोषागार के माध्यम से लाभार्थी के सी0बी0एस0 खाते में प्रेषित की जायेगी।

9	**निराश्रित विधवा की पुत्रियों के विवाह हेतु अनुदान योजना**	निराश्रित विधवाओं को उनकी अधिकतम दो पुत्रियों के विवाह हेतु रू0 50000/- प्रति पुत्री के विवाह हेतु अनुदान	विधवा पेंशन प्राप्त कर रही ऐसी विधवा महिलाओं को जिनकी समस्त स्रोतों सहित मासिक आय रू0 4000/- प्रतिमाह तक हो अथवा बी0पी0एल परिवार । • शादी के समय युवक की आयु 21 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो। युवती की आयु 18 वर्ष से कम 45 वर्ष से अधिक न हो।	बिंदु 8 में उल्लिखित समस्त चयन आवेदन प्रकिया, दस्तावेज एवं चयन प्रकिया समान होगी। उक्त के अतिरिक्त विधवा पेंशन, समाज कल्याण से प्राप्त हो रही है अथवा नहीं, समाज कल्याण विभाग इसकी पुष्टि करता है तथा इसमें जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होती है।

संख्याः— /XVII–2/21–01(32)/2019

प्रेषक,

एल.फैनई,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1–निदेशक,
समाज कल्याण विभाग,
उत्तराखण्ड, हल्द्वानी–नैनीताल।

2–निदेशक,
जनजाति कल्याण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

समाज कल्याण अनुभाग–2 — देहरादून, दिनांक 01 अगस्त, 2021

विषयः—अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं सामान्य वर्ग की विधवा पेंशन प्राप्त कर रही विधवाओं की पुत्री के विवाह हेतु अनुदान योजना में आवेदक की आय सीमा में वृद्धि किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासन के पत्र संख्या–748/XVII-4/2016-01(135)/2013-टी.सी.–1 दिनांक 23.05.2016 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं सामान्य वर्ग की विधवा पेंशन प्राप्त कर रही विधवाओं की पुत्री के विवाह हेतु अनुदान योजना के अन्तर्गत आवेदन से लेकर अनुदान स्वीकृति करने तक की समस्त प्रक्रियाओं का ऑन लाईन करने के साथ ही इन प्रक्रियाओं हेतु समय सारणी एवं चरणबद्ध क्रियान्वयन प्रक्रिया का भी निर्धारण किया गया है।

2— इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि गोपन (मंत्रिपरिषद) अनुभाग के अशासकीय पत्र संख्या–4/2/XVIII/XXI/2021-सी.एक्स. दिनांक 18.08.2021 के क्रम में उक्तांकित शासनादेश दिनांक 23.05.2016 के प्रस्तर संख्या–1 के बिन्दु संख्या–9 में **"शादी अनुदान हेतु अर्हता"** शीर्षक के **बिन्दु संख्या–II** में निम्नानुसार आंशिक संशोधन किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:—

वर्तमान अर्हता	संशोधित अर्हता
(II) अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों तथा सामान्य वर्ग की विधवाओं की पात्रता बी0पी0एल0 श्रेणी/अन्त्योदय कार्ड धारक हो अथवा उसकी वार्षिक आय ₹15000/— (₹1250/मासिक) से अधिक नहीं होनी चाहिए।	(II) अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों तथा सामान्य वर्ग की विधवाओं की पात्रता बी0पी0एल0 श्रेणी/अन्त्योदय कार्ड धारक हो अथवा उसकी आय **₹**4000/—मासिक अथवा **₹**48000/—वार्षिक से अधिक नहीं होनी चाहिए।

2—शासनादेश संख्या–748/XVII-4/2016-01(135)/2013-टी.सी.–1 दिनांक 23.05.2016 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाये तथा उक्त शासनादेश की शेष शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत् लागू रहेंगे।

3—यह आदेश वित्त विभाग(अनुभाग–3) के अशासकीय पत्र संख्या–62(म0)/XXVII(3)/2019 दिनांक 27 अगस्त, 2021 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा है।

भवदीय

संख्याः– 1045 /XVII–2/21–01(32)/2019 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।

2–सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।

3–निजी सचिव, मा0 समाज कल्याण मंत्री, उत्तराखण्ड शासन।

4–वरिष्ठ निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।

5–सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।

6–सचिव, गोपन, उत्तराखण्ड शासन।

7–महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।

8–आयुक्त, गढ़वाल एवं कुमायूँ मण्डल, उत्तराखण्ड।

9–समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।

10–समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड। (द्वारा निदेशक, स०क०)

11–समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तराखण्ड(द्वारा निदेशक, समाज कल्याण)।

12–गार्ड फाईल।

31/8/21

(एल॰फैनई)

प्रमुख सचिव

संख्या–740 / XVII-4 / 2016–01(135) / 2013–टी.सी.–1

प्रेषक,

डॉ0 भूपिन्दर कौर औलख,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा मे,

1. निदेशक,
समाज कल्याण, उत्तराखण्ड,
हल्द्वानी–नैनीताल।

2. निदेशक,
जनजाति कल्याण, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

समाज कल्याण अनुभाग–4

देहरादून, दिनांक 23 मई, 2016

विषयः– राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं सामान्य वर्ग की विधवा पेन्शन प्राप्त कर रही विधवाओं की पुत्री के विवाह हेतु अनुदान योजना को ऑन लाईन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विभाग द्वारा संचालित अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा सामान्य वर्ग की विधवाओं की पुत्रियों के विवाह हेतु अनुदान प्रदान करने के लिए संचालित योजनाओं के अन्तर्गत आवेदन प्राप्त करने एवं निस्तारण की समयसीमा एवं पारदर्शी प्रक्रिया का निर्धारण किया जाना अति आवश्यक प्रतीत हो रहा है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए वित्तीय वर्ष 2016–17 से उक्त योजना के अन्तर्गत आवेदन से लेकर अनुदान स्वीकृत करने तक की समस्त प्रक्रियाओं को ऑन लाईन करने का निर्णय लिया गया है तथा इन प्रक्रियाओं हेतु समय सारणी एवं चरणबद्ध क्रियान्वयन प्रक्रिया का भी निर्धारण किया जा रहा है। योजनान्तर्गत आवेदन करने एवं ऑन लाईन प्रविष्टि करने, मार्गदर्शन एवं अन्य प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त करने के लिए एन0आई0सी0 द्वारा विकसित वेब पोर्टल ssp.uk.gov.in पर Login करना होगा। उक्तानुसार निर्धारित प्रक्रिया एवं समयसीमा का विवरण निम्नवत है :–

1. आवेदक स्वयं निर्धारित प्रारूप के आवेदन पत्र अपनी समस्त प्रविष्टियां ऑफ लाइन भरेगें। ऑफलाईन प्राप्त आवेदन पत्र की ऑन लाईन प्रविष्टि सम्बन्धित विकासखण्ड के सहायक समाज कल्याण अधिकारी द्वारा की जायेगी। आवेदक मागें गये समस्त आवश्यक अभिलेखो को संलग्न कर सम्बन्धित विकासखण्ड के सहायक समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय मे जमा करेंगे। सम्बन्धित विकासखण्ड़ के सहायक समाज कल्याण अधिकारी द्वारा सफलतापूर्वक ऑनलाईन आवेदन करने के उपरान्त ऑन लाईन एक प्राप्ति रसीद प्राप्त होगी जिस पर आवेदन का विवरण, आवेदन की स्थिति–पूर्ण या अपूर्ण, आवेदन क्रमांक तथा आवेदन करने का समय अंकित होगा। इस प्राप्ति रसीद पर सम्बन्धित सहाय्रक समाज कल्याण अधिकारी अपने हस्ताक्षर एवं मुहर को अंकित कर आवेदक को हस्तगत करेंगे। यदि आवेदक आवश्यक दस्तावेज़ संलग्न नही करता है तो उसका आवेदन अपूर्ण माना जायेगा, जिस हेतु आवेदक को एक माह में वह दस्तावेज उपलब्ध कराना होगा यदि

184

वह उपलब्ध नही करा पाता है तो उस स्थिति में उसका आवेदन स्वतः ही निरस्त हो जायेगा।

2. उपरोक्तानुसार सफलतापूर्वक भरे गये आवेदनों की स्थिति को सम्बन्धित विकास खण्ड के सहायक समाज कल्याण अधिकारी लॉग इन करके देख सकते है। ऑनलाईन प्राप्त आवेदन सहायक समाज कल्याण अधिकारी स्तर पर कितने समय से लंबित हैं, प्रदर्शित होगा। सहायक समाज कल्याण अधिकारी ऑनलाईन आवेदन प्राप्ति की तिथि से अधिकतम 30 दिनों के भीतर आवेदनों का भौतिक सत्यापन करके सम्बन्धित जिला समाज कल्याण अधिकारी को ऑनलाईन आवेदन अग्रेषित् करेंगे।

3. सफलतापूर्वक आवेदनों की जांचोपरान्त प्रथम आवत प्रथम पावत के आधार पर निम्न प्रकार से वरीयता सूची बनेगी। प्राप्त आवेदन पत्रों को प्राप्ति का दिनांक तथा समय के वरीयता क्रम में अंकित करने के उपरान्त आवेदकों को निम्न वरीयतानुसार धनराशि की स्वीकृति प्रदान की जायेगी –

   (i) अन्तोदय कार्ड धारक आवेदनकर्ता।
   (ii) बी0पी0एल0 विधवा आवेदनकर्ता।
   (iii) बी0पी0एल0 आवेदनकर्ता।
   (iv) अन्य।

4. बी0पी0एल0 आवेदन कर्ता को बी0पी0एल0 के साक्ष्य के रूप मे बी0पी0एल0 कार्ड अथवा बी0पी0एल0 क्रमांक का विवरण आवश्यक रूप से उपलब्ध कराना होगा। इस सम्बन्ध मे अन्य कोई साक्ष्य मान्य नही होंगे।

5. सम्बन्धित जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा आवेदनों की स्वीकृति त्रैमासिक आधार पर की जायेगी तत्पश्चात् आवेदक को Neft/E-payment के माध्यम से अनुदान की धनराशि का भुगतान सीधे उसके सी0बी0एस0 बैंक खाते में किया जायेगा।

6. आवेदक को अपने आवेदन की स्थिति से सम्बन्धित प्रत्येक चरण की जानकारी उसके पंजीकृत मोबाईल पर एस0एम0एस0 के माध्यम से दी जायेगी। आवेदक चाहे तो वेबसाईट पर भी अपने ऑनलाईन आवेदन की स्थिति को देख सकता है।

7. यदि अस्थायी रूप से निरस्त किये गये आवेदन पुनः जांचोपरान्त सही पाये जाते है तो उन्हे स्वीकृति प्रदान की जा सकती है परन्तु स्थायी रूप से निरस्त आवेदनों पर कोई विचार नही किया जायेगा।

8. शादी अनुदान योजना हेतु प्रत्येक वर्ष की 01 मार्च से 28 एवं 29 फरवरी तक की शादी तिथियो से सम्बन्धित आवेदन स्वीकृत किये जायेगें तथा भुगतान की कार्यवाही माह मार्च तक पूर्ण की जायेगी। 28 एवं 29 फरवरी के बाद प्राप्त आवेदनो को अगले वित्तीय वर्ष में स्वीकृत/भुगतान किये जायेगें।

(18)

9. आवेदक द्वारा माह मार्च के प्रथम सप्ताह तक शादी का प्रमाण–पत्र सम्बन्धित जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा यदि आवेदक शादी का प्रमाण–पत्र सम्बन्धित जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय में जमा नही करवाता तो आवेदक को उक्त अनुदान का भुगतान नही किया जायेगा, इस दशा में आवेदक का आवेदन पत्र स्वतः निरस्त मान लिया जायेगा।

शादी अनुदान हेतु अर्हता–

(I) आवेदक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का हो अथवा विधवा पेंशन प्राप्त कर रही महिला भी अपनी पुत्री की शादी हेतु पात्र होगी।

(II) आवेदक बी0पी0एल0 श्रेणी/अन्तोदय कार्ड धारक हो अथवा उसकी वार्षिक आय रू0 15,000/– से अधिक नही होनी चाहिए।

(III) शादी अनुदान हेतु परिवार की अधिकतम दो पुत्री ही पात्र होगी।

शादी अनुदान हेतु निम्न अभिलेख संलग्न करना अनिवार्य होगा–

(I) आवेदक का फोटो।

(II) आवेदक का जाति प्रमाण पत्र की प्रति जो कि तहसीलदार द्वारा जारी किया गया हो।

(III) आवेदक का आय प्रमाण पत्र की मूल प्रति जोकि तहसील द्वारा वर्तमान में जारी किया गया हो (6 माह से पुराना न हो)।

(IV) बी0पीएल0 कार्ड/ क्रमांक की स्वप्रमाणित प्रति, जो खण्ड विकास अधिकारी द्वारा निर्गत किया गया हो।

(V) आधार कार्ड/सं0 अनिवार्य है।

(VI) विधवा पेंशन प्राप्त करने का प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)।

(VII) अंतयोदय कार्ड की स्वप्रमाणित प्रति (यदि लागू हो)।

(VIII) राशन कार्ड की स्वप्रमाणित प्रति।

(IX) शादी का पंजीकरण तथा पंजीकरण कार्यालय द्वारा प्रदत्त विवाह प्रमाण पत्र की प्रति।

(X) दुल्हन की जन्म तिथि का प्रमाण पत्र (हाईस्कूल का प्रमाण पत्र/जन्म प्रमाण पत्र/परिवार रजिस्टर के नकल की प्रति/आधार कार्ड के स्वप्रमाणित प्रति)।

(XI) दुल्हे की जन्म तिथि का प्रमाण पत्र (हाईस्कूल का प्रमाण पत्र/जन्म प्रमाण पत्र/परिवार रजिस्टर की मूल प्रति/आधार कार्ड के स्वप्रमाणित प्रति)।

(XII) आवेदक एवं आवेदक के परिवार वालों ने इससे पूर्व पुत्री शादी व बीमारी योजना में एक से अधिक पुत्री के शादी के लिए इस योजना का लाभ नहीं लिया है, का शपथ पत्र।

शादी अनुदान योजना के अन्तर्गत आवेदक को अनुदान कें रूप मे अधिकतम रू0 50,000/– की धनराशि दिये जाने का प्राविधान है। जिसका भुगतान सीधे लाभार्थी के सी0बी0एस0 बैंक खाते में किया जायेगा।

इस ऑनलाईन प्रणाली द्वारा आवेदको को शादी अनुदान के प्रकरणों का त्वरित पारदर्शिता, निराकरण एवं अन्य लाभों को देखते हुए यह व्यवस्था एन0आई0सी0 के तकनीकी सहयोग से समस्त जिलों मे तत्काल प्रभाव से लागू की जा रही है। प्रत्येक जिले के जिला सूचना विज्ञान अधिकारी तथा जनजाति कल्याण निदेशालय (भगत सिंह कालोनी) में स्थापित समाज कल्याण के आई0टी0 सैल द्वारा भी विकासखण्डों में कार्यरत सहायक समाज कल्याण अधिकारियों एवं जिला समाज कल्याण अधिकारियों को इस सम्बन्ध में आवश्यक मार्गदर्शन दिया जायेगा। किसी भी खण्डो मे कार्यरत सहायक समाज कल्याण अधिकारियों एवं जिला समाज कल्याण अधिकारियों द्वारा यदि शासनादेश में वर्णित किसी प्राविधान का उल्लंघन किया जाता है, तो सम्बन्धित अधिकारी के विरूद्ध कड़ी अनुशासनात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

3. शासनादेश के समस्त प्रावधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

4. योजना को सफलतापूर्वक क्रियान्वयन/संचालित किये जाने में किसी भी स्तर पर शिथिलता बरते जाने पर इसे गम्भीरतापूर्वक लिया जायेगा।

योजना के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी शासनादेशों को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय तथा शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

भवदीया

(डॉ0 भूपिन्दर कौर औलख)
सचिव।

संख्या– 748 /XVII-4/2016–01(135)/2013 टी.सी.–1, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. अपर मुख्य सचिव (वित्त) उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. महालेखाकार, ओबराय विल्डिग, माजरा, देहरादून।
4. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
5. आयुक्त, गढ़वाल/कुमायूँ मण्डल।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, उत्तराखण्ड।
9. उपनिदेशक/नोडल अधिकारी, आई0टी0सैल, देहरादून।
10. समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तराखण्ड।
11. आदेश पंजिका।

आज्ञा से,

(रमेश चन्द्र लोहनी)
अपर सचिव।

कोविड-19 संक्रमण को फैलने से रोकें दो गज की दूरी, सुरक्षा हेतु है जरूरी, मास्क

शादी हेतु अनुदान योजना

शादी हेतु अनुदान योजना-

अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के गरीबी की सीमा रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार, जिनकी आय सीमा रू. 15,000/- (रू. पन्द्रह हजार मात्र) वार्षिक अथवा बी.पी.एल. परिवार से सम्बन्धित हों, को अधिकतम दो पुत्रियों के विवाह हेतु आर्थिक सहायता के रूप में एकमुश्त रू. 50,000/- (रू. पचास हजार मात्र) तक की धनराशि प्रदान की जाएगी। सामान्य श्रेणी के बी.पी.एल. परिवार की विधवाओं की अधिकतम दो पुत्रियों को भी उनके विवाह हेतु आर्थिक सहायता के रूप में एकमुश्त रू. 50,000/- (रू. पचास हजार रू. मात्र) तक की धनराशि प्रदान की जायेगी। चूंकि उक्त योजना वर्तमान में सीमित बजट पर निर्भर करती है, अत: इसमें बजट की उपलब्धता के आधार पर ही भुगतान प्राथमिकता सूची के आधार पर संभव है। इसके अतिरिक्त जिस वर्ष में विवाह हुआ हो, उसी वर्ष आवेदन (1 मार्च से अगले वर्ष 28-29 फरवरी के विवाह) के आवेदन ही उस वर्ष मान्य होते हैं।

औपचारिकतायें

1 आय एवं जाति प्रमाण पत्र तहसीलदार द्वारा निर्गत हो।

2 वर एवं वधु की परिवार रजिस्टर की नकल।

3 शादी का कार्ड/विवाह प्रमाण पत्र ग्राम प्रधान से ।

4 शपथ पत्र ।

Source : Department of Secretariat Administration - Govt. Of Uttarakhand, Last Updated on 19-12-2023